कार्यालय अचंल अधिकारी ईटखोरी

विविधवाद संख्याः–03/2024–245

इन्द्रजीत सिंह
पिता–रामाधीन सिंह
ग्राम–पुनौल, अंचल–ईटखोरी, चतरा।
(प्रथम पक्ष)

बनाम्

2. अमर सिंह, पिता–यशवंत सिंह
3. अशोक सिंह
4. रंजीत सिंह, दोनो पिता–प्यारी सिंह
   ग्राम–पुनौल, अंचल–ईटखोरी, चतरा।

(द्वितीय पक्ष)

प्रश्नगत भूमि की विवरणी–अंचल ईटखोरी अंतर्गत मौजा–कोनी, थाना न0–4, खाता न0–22, प्लॉट न0–220, रकवा–54 डी0।

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
1/11/2024	प्रस्तुत अभिलेख संख्या–03/2024–25 का संधारण आवेदक इन्द्रजीत सिंह पिता–रामाधीन सिंह ग्राम–पुनौल पोस्ट+थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा के आवेदन पत्र के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित है कि ग्राम–कोनी के खाता न0– 22, प्लॉट न0–220, रकवा–0.27 ए0 मेरा जमीन है। उस जमीन पर आज तारीख 28.6.2024 को 8 बजे सुबह हमारे प्लॉट पर एकाएक अमर सिंह वल्द यशवंत सिंह वो अशोक सिंह वो रंजीत सिंह वल्द स्व0 प्यारी सिंह ग्राम–पुनौल, थाना–ईटखोरी जिला–चतरा द्वारा ट्रैक्टर से प्लॉट पर जुतवा रहे थे । मेरे यह पुछने पर कि मेरा खेत क्यों जुतवा रहे हैं इसी पर उनलोगों के द्वारा गाली गलोज करने लगा, कई तरह का बात करने लगा। उनके द्वारा कहा गया कि मैं जुतवा लुंगा जो करना है सो करो। मैने देखा कि मुझ पर जानलेवा हमला हो जायगा तो मैं लाचार होकर थाना पर गया, परन्तु थाना प्रभारी के पास से मुझे भगा दिया गया इसलिए मैं श्रीमान	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
	अंचल अधिकारी को आवेदन दे रहा हूँ। आवेदन पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो निम्नवत् है:– ➢ सर्वे खतियान के अनुसार– सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–कोनी, थाना न0–04, खाता न0–22, प्लॉट न0–220 रकवा–0.54 ए0 भूमि है। भूमि बकास्त खाते की है। ➢ ऑनलाईन पंजी II के अनुसार :– ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–19/1 पर बलदेव सिंह पिता–चोवा सिंह एवं प्यारी सिंह पिता–धथुरी सिंह के नाम पर खाता न0–22,26,24 प्लॉट–शून्य 0, रकवा–0 एकड़ 36.5 डी0 भूमि दर्ज है। ➢ स्थल जाँच किया गया प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि केवल दो व्यक्ति बलदेव सिंह तथा प्यारी सिंह के नाम पर रसीद कटते चला आ रहा है जिसमें कि प्यारी सिंह अपने हिस्से की भूमि 27 डी0 पूर्व में बेच चूके है। 18 डी0 भूमि राधो राम पिता बनवारी राम मौजा–कोनी को बेचा है जिसका केवाला संख्या–1612 दिनांक–27.05.1968 है, एवं शेष 6 डी0 भूमि पंचायत भवन निर्माण में दिये है। एवं शेष 27 डी0 भूमि बलदेव सिंह के हिस्सा का जमीन बचता है जो कि मेरा है। द्वितीय पक्ष अशोक सिंह वगै0 का कहना है कि उक्त भूमि तीन व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए जो नहीं है। ➢ प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर कई वर्षों से दखल कब्जे में है। उक्त तथ्य उपस्थित ग्रामीण द्वारा बताया गया कि खेती बारी कई वर्षों से करता चला आ रहा है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को नोटिश निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों की मॉग कर उचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।	

आदेश की तिथि	आवेश और पदाभिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दोनों पक्षों को नोटिश निर्गत कर राजस्व कागजात की माँग की गई।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपने–अपने कथन के समर्थन में कागजात प्रस्तुत किया।

प्रथम पक्ष के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन जमाबन्दी दो व्यक्तियों क्रमश बालदेव सिंह, पिता–चोवा सिंह एवं प्यारी सिंह, पिता–धथुरी सिंह के नाम पर कुल–54 डी0 दर्ज है। द्वितीय पक्ष प्यारी सिंह अपने हिस्से की भूमि में 18 डी0 राधोराम पिता–बनवारी राम को केवाला संख्या–1612, दिनांक–27.05.1968 से बिक्री कर दिये एवं 06 डी0 भूमि पंचायत भवन निर्माण में दिया गया है शेष 03 भूमि ही प्यारी सिंह का हिस्सा बचता है। आगे कथन है कि प्यारी सिंह के वंशजों द्वारा मेरी भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्लॉट न0–220 की भूमि पर जोत–कोड करने का प्रयास किया जा रहा है जो गलत है।

आवेदक द्वारा द्वितीय पक्ष पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि सर्वे खतियान में खाता–22, प्लॉट न0–220, रकवा–54 डी0 भूमि के मालिक चोवा सिंह, तिलकधारी सिंह एवं धथुरी सिंह थे। चोवा सिंह के पुत्र बलदेव सिंह, बलदेव सिंह के पुत्र रामाधीन सिंह एवं रामाधीन सिंह के पुत्र इन्द्रजीत सिंह हुए। तिलकधारी सिंह के दो पुत्र क्रमशः बैजु सिंह एवं मदन सिंह हुए जो नावल्द मरे। धथुरी सिंह के एक पुत्र प्यारी सिंह एवं प्यारी सिंह के चार पुत्र क्रमशः यशवंत सिंह, अशोक सिंह, सुनील सिंह एवं रंजीत सिंह हुए। आगे कथन है कि तिलकधारी सिंह के दो पुत्र क्रमशः बैजु सिंह एवं मदन सिंह के नावल्द मरने के बाद उनके हिस्से की

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
	भूमि उन्होने उनकी पत्नी से कैवाला के माध्यम से हासिल किया है। मौजा कोनी के खाता न0–22,26,24 की कुल 91.25 डी0 की जमाबन्दी बालदेव सिंह एवं प्यारी सिंह के नाम से चल रही है जिसमे खाता–22, प्लॉट–220 रकवा–54 डी0 शामिल है। आगे कथन है कि पंजी–II में बालदेव सिंह एवं प्यारी सिंह का हिस्सा बराबर ना होकर बालदेव के हिस्से में 18 डी0 एवं प्यारी सिंह के हिस्से में कुल–36 डी0 भूमि की जमाबन्दी में दर्ज है जिसमे खाता–22 प्लॉट–220 में कुल–18 डी0 भूमि की बिक्री उनके पिता स्व0 प्यारी सिंह ने अन्य खाता एवं प्लॉट की भूमि के साथ राधोराम, पिता–बनवारी राम को किया था और बालदेव सिंह के द्वारा ऑगनबाडी केन्द्र के लिए अपने हिस्से की 18 डी0 भूमि में 04 डी0 भूमि दिया गया है। इस प्रकार वर्त्तमान में बालदेव सिंह के हिस्से की 14 डी0 भूमि एवं मेरे हिस्से की कुल–18 डी0 भूमि शेष है। आवेदक के द्वारा प्लॉट 220 के कुल–06 डी0 भूमि को पंचायत भवन निर्माण में मेरे पिता द्वारा देने की बात गलत है क्योकि पंचायत भवन को दिया गया 06 डी0 भूमि प्लॉट न0–215 की है। द्वितीय पक्ष का कथन है कि वे अपने हिस्से की 18 डी0 भूमि पर जोत–कोड कर रहे थे जिस पर प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष को सविस्तार सुना गया। अभिलेख में संलग्न एवं उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित Online पंजी–II के अवलोकन से स्पष्ट है कि Online पंजी–IIके पृष्ठ संख्या–19/1 पर बलदेव सिंह पिता–धोवा सिंह एवं प्यारी सिंह पिता–धथुरी सिंह के नाम पर खाता न0–22,26,24 प्लॉट–शून्य 0, रकवा–0 एकड़ 36.5 डी0 भूमि दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने इस कथन कि खाता न0–22, प्लॉट , न0–220, रकवा–54 डी0 भूमि में उनके	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

पिता–यशवंत सिंह एवं प्यारी सिंह का 02 हिस्सा अर्थात 36 डी0 भूमि है के समर्थन में केवाला संख्या–255, दिनांक–13.01.2009 प्रस्तुत किया गया जिसमे कुन्ता देवी, पति–स्व0 बैजु सिंह, मौजा–पुनौल, ईटखोरी के द्वारा 1. श्रीमति कल्याणी देवी, पति–यशवंत सिंह, 2. श्रीमति सजन्ती देवी, पति अशोक कुमार सिंह, 3. श्रीमति पूर्णिमा देवी, पति–सुनिल सिंह, 4. रंजीत सिंह, पिता–स्व0 प्यारी सिंह, साकिन–पुनौल, ईटखोरी को खाता–2, 6, 16 एवं 22 की भूमि बिक्री की गई है जिसमे खाता–22, प्लॉट–220, रकवा–18 डी0 भूमि शामिल है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन में दावा किया गया था कि प्रश्नगत भूमि खाता–22, प्लॉट–220 में द्वितीय पक्ष के द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु 06 डी0 भूमि दी गई है जो बहस के दौरान एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों में गलत पाया गया। पंचायत भवन के लिए प्लॉट 215 की भूमि दी गई है। इस प्रकार आवेदक/प्रथम पक्ष अपने दावे को साबित करने में असफल रहे है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित केवाला जो स्व0 बैजु सिंह की पत्नी के द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि खाता–22, प्लॉट–220 में कुल–18 डी0 भूमि बिक्री किया गया है, उससे द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि में शेष 18 डी0 भूमि का दावा सही प्रतीत होता है।

उक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन को अस्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष मामले को सक्षम न्यायालय में ले जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Savita
Date: 2024.12.30 17:04:59 +05:30
Location: 192.168.190.181

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

अंचल अधिकारी
ईटखोरी।